

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति-IV)

संख्या:कार्मिक(नियुक्ति-IV)-ए(1)-01/2015 तारीख शिमला-2, 23 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

तारीख शिमला-2 23 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त वित्तायुक्त / प्रधान सचिव / सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 5 सचिव, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 1-5/86 -पीएससी-पार्ट दिनांक 16.2.2016 ।
- 8 महालेखाकार, लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-3
- 7 वरिष्ठ उप महालेखाकार, लेखा हकदारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
- 9 अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-परामर्शी) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
11. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग (राज भाषा खण्ड), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.
13. गार्ड फाईल / अतिरिक्त प्रतियां-15।


23/4/16
(अमरजीत सिंह)

विशेष सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) ।
2. पद(पदों) की संख्या: 01 (एक)।
3. वर्गीकरण वर्ग-I (राजपत्रित) ।
4. वेतनमान ₹ 15600-39100 + ₹8400/- ग्रेड पे।
5. "चयन पद" अथवा "अचयन पद" चयन ।
6. सीधे भर्ती के लिए आयु: लागू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: अनिवार्य अर्हता (एं): लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं: आयु: लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लागू नहीं ।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता: शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सेकण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा : "उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) और सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-राजभाषा) के रूप में संयुक्ततः 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो. जिसमें उप विधि

परामर्शी एवं उप सचिव (विधि- राजभाषा) के रूप में 02 (दो) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।"

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमेंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रवेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985

के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:

जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगः

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा:

लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:

लागू नहीं।

16. आरक्षण:

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति:

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।



(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(1)-1/2015 dated 23-04-2016, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (A-IV)

No. Per (A-IV)-A (1)-1/2015, Dated Shimla-171002, the

23rd April, 2016.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Official Language) Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:-

- Short title and commencement.
1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel, Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Official Language), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.


By Order
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. As above. Dated Shimla-171002, the

23rd April, 2016.

Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Additional Chief Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All the Pr. Secretary/ Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The Secretary, HP Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2 w.r.to his letter No. 1-5/86-PSC- Part dated the 16th February, 2016.
5. The Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla-171003.
6. The Sr. Dy. Accountant General (A&E), HP, Shimla-171003.
7. The Additional Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 in compliance to approval of item No. 5 by the CMM in its meeting held on 04.03.2016.
8. The JLR-cum-Joint Secretary (Law-Opinion) to the Govt. of HP, Shimla-2.
9. Guard file /spare copies-15.


23/4/16
(Amarjeet Singh)
Special Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.



RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT LEGAL REMEMBRANCER-CUM-JOINT SECRETARY (LAW-OFFICIAL LANGUAGE) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

01	Name of post	Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Official Language).
02	Number of post (s)	01 (One)
03	Classification	Class-I, (Gazetted)
04	Scale of pay	₹ 15600-39100 + ₹8400/- Grade Pay
05	Whether "Selection" post or "Non-Selection post.	Selection
06.	Age for direct recruitment.	Not applicable
07.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).	Essential Qualification(s): Not applicable. Desirable Qualification(s): Not applicable.
08	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualification(s): Not applicable.
09.	Period of probation, if any.	Not applicable
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made:	By promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language), possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language), possessing 4 (four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language) and Assistant Legal Remembrancer-cum-Under Secretary (Law- Official Language), which shall also include essential service of 2 (two) years as Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language)"
		(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

		<p>Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:</p> <p>Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:</p> <p>Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.</p> <p>Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.</p> <p>(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules:</p> <p>Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.</p>
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	Not applicable

15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Not applicable.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination:	Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time, for promotion to the next higher post.
18	Power to relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HP Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

